[redacted] **जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर** आर.ई.ओ.–191 [redacted]

क्रमांकः जोडि/अ.अ./पी.पी.एम./अनु.–सर्वे एवं जांच/प्रे० 4961 दिनांक 29.03.2011

–आदेश–

विषयः– वर्ष 2011–12 में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

****

राज्य सरकार ने अपने पत्रांक एफ 12 (6)ऊर्जा/04 दिनांक 09.03.11 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण 2011–12 में की गई घोषणानुसार वर्ष 2011–12 में 65 हजार कृषि कनेक्शन जारी करने व 1 जनवरी 2008 से 31 दिसम्बर 2008 तक कृषि हेतु प्राप्त लम्बित प्रार्थना पत्रों के मांग पत्र वर्ष 2011–12 में जारी करने हेतु निर्देश दिये है।

उक्त संदर्भ में डिस्कॉम कोर्डिनेशन फोरम की बैठक में दिनांक 17 व 22 मार्च 2011 को चर्चा हुई। तदनुसार वितरण निगमों में उपलब्ध सीमित मानव शक्ति, संसाधनों और सामान की उपलब्धता देखते हुए वर्ष 2011–12 में कृषि कनेक्शन हेतु मांग पत्र निम्नानुसार दो चरणों में जारी करने हेतु निर्णय लिया गया।

1. प्रथम चरण में दिनांक 01.01.2008 से 30.09.2008 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के मांग पत्र 15 अप्रैल 2011 से 15 अगस्त 2011 के बीच निम्न प्रकार से जारी किये जायेंगे।

(I)	25 प्रतिशत	15 अप्रैल 2011 से 15 मई, 2011 तक
(II)	25 प्रतिशत	15 मई 2011 से 15 जून, 2011 तक
(III)	25 प्रतिशत	15 जून 2011 से 15 जुलाई, 2011 तक
(IV)	25 प्रतिशत	15 जुलाई 2011 से 15 अगस्त, 2011 तक

2. द्वितीय चरण में 01.10.2008 से 31.12.2008 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के मांग पत्र 15 सितम्बर 2011 से 15 जनवरी 2012 के बीच निम्न प्रकार जारी किये जाएंगे।

(I)	25 प्रतिशत	15 सितम्बर 2011 से 15 अक्टूबर, 2011 तक
(II)	25 प्रतिशत	15 अक्टूबर 2011 से 15 नवम्बर, 2011 तक
(III)	25 प्रतिशत	15 नवम्बर 2011 से 15 दिसम्बर, 2011 तक
(IV)	25 प्रतिशत	15 दिसम्बर 2011 से 15 जनवरी, 2011 तक

3. समस्त अनुसूचित जाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों तथा अन्य आवेदक जिन्हें तुरन्त प्राथमिकता के आधार कृषि कनेक्शन देय है, के मांग पत्र निम्नानुसार जारी किये जायेंगेः–

(I)	31.03.11 तक प्राप्त सभी आवेदनों के–	15 अप्रैल से 15 मई, 2011 के मध्य
(II)	01.04.11 से 31.08.11 तक प्राप्त आवेदन के–	15 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2011 के मध्य

अन्य शर्ते व नियम निगम द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 03 दिनांक 01.04.09 (आर.ई.ओ. 167) के अनुरुप ही रहेंगे।

आदेशानुसार

(डी.डी. जोशी)
अधीक्षण अभियन्ता (पीपीएम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर